भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

226

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर - ग्वालियर मध्य प्रदेश

रिवीजन क्रमांक-   सन्

राजनारायण खरे तत्कालीन तहसीलदार छतरपुर

हाल तहसीलदार सतना म0 प्र0   ---   निगरानीकर्ता

R-2292-II/12

बनाम

1/ राज्य शासन म0 प्र0 द्वारा कलैक्टर महोदय छतरपुर

2/ कल्ला तनय भैरमा काछी निवासी ग्राम बगौता

तहसील व जिला छतरपुर म0 प्र0   --   उत्तरवादीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0रा0 संहिता 1959 विरूद्ध अधिनस्थ कलैक्टर छतरपुर के द्वारा स्वा.प्र.नि./अ-6-अ/2010-1 में पारित आदेश दिनांक 5/6/12 से परिवेदित होकर ।

प्रस्तुत 23.07.12

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1/ यह कि निगरानीकर्ता वर्ष 2008 में तहसीलदार छतरपुर के पद पर पदस्थ था आवेदक के कार्यकाल के दौरान उत्तरवादी क्र0 2 द्वारा आवेदन अभिलेख दुरूस्त किये जाने वावत मेरे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण क्रमांक 59-अ-6-अ/07-08 पर दर्ज किया गया और सम्पूर्ण न्यायालीन कार्यवाही पश्चात रिकार्ड सुधार का आदेश पारित किया गया था । अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/बी-121/10-11 दर्ज कर दिनांक 1/4/11 को निगरानीकर्ता द्वारा पारित आदेश को नियमो एवं कानूनो के अन्तर्गत त्रुटि पूर्ण पाते हुये प्रकरण स्व.प्र.नि. में लिये जाने वावत प्रतिवेदन अधिनस्थ न्यायालयकलैक्टर महोदय को प्रस्तुत किया कलैक्टर महोदय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कारण बताओ नोटिस दिनांक 8/6/11 को जारी किया गया जिसका जवाव निगरानीकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और लिखित वहस भी पेस की किन्तु अधिनस्थ न्यायालय

23/7/12 प्रदीप श्रीवास्तव एडवोकेट

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2292-दो/2012 जिला छतरपुर राजनारायण विरूद्ध शासन व कल्ला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 105/स्वप्रेरणा निगरानी/अ-6-अ/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 05-06-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 20/2/2019 सदस्य	